"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2009--आश्विन 10, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हनुमान सिंह श्याम आत्मज बलीराम श्याम, उम्र 36 वर्ष, जाति गोंड, स्थायी निवासी ग्राम-धरमूटोला, पो. साल्हेटोला, वि. [illegible] छुरिया, तहसील - छुरिया, जिला-राजनांदगांव ([illegible]) का हूं.

[illegible] नाम [illegible] वर्तित कर अपना नाम हनुमन्त सिंह श्याम आत्मज [illegible] श्याम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] हूं.

अतः [illegible] मुझे हनुम[illegible] सिंह श्याम आत्मज बलीराम श्याम के नाम से [illegible] पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हनुमान सिंह श्याम	हनुमन्त सिंह श्याम
पिता-श्री बलीराम श्याम	पिता-श्री [illegible] श्याम
स्थायी पता-ग्राम-धरमूटोला	स्थायी पता-ग्राम-धरमूटोला
पो.-सा[illegible]टोला, तह.-छुरिया	पो.-सा[illegible]टोला, तह.-छुरिया
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	जिला-[illegible]नांदगांव (छ. ग.)
491557	491557

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अभिजीत प्रताप सिंह आत्मज स्व. चतुर सिंह, निवासी-ग्राम-सुरडुंग पो. सुरडुंग, तहसील जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर ठाकुर यशवंत सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ठाकुर यशवंत सिंह आत्मज स्व. चतुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे

पुराना नाम	**नया नाम**
अभिजीत प्रताप सिंह	ठाकुर यशवंत सिंह
आत्मज-स्व. चतुर सिंह	आत्मज-स्व. चतुर सिंह
निवासी-ग्राम-सुरडुंग	निवासी-ग्राम-सुरडुंग
पो.-सुरडुंग	पो.-सुरडुंग
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 9 सितम्बर 2009

क्रमांक/470/उपरा/परि./09.--वस्तुत: पुलिस वेलफेयर सहकारी को-आपरेटिव्ह स्टोर मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 434, दिनांक 12-08-2004 के निष्क्रिय/बंद हो जाने के परिणामस्वरूप उक्त सोसायटी को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/395/उपरा/परि./09, दिनांक 06-08-2009 जारी किया गया है. सूचना पत्र में दर्शित निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जवाबदावा/उत्तर अप्राप्त रहा. इसलिए उक्त सोसायटी को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है और उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग का विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर की शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस वेलफेयर सहकारी को-आपरेटिव्ह स्टोर मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 434 दिनांक 12-08-2004 को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ए/क) एवं (सी/ग) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के तहत श्री रघुराज सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा परिसमापक को यह निर्देश देता हूं कि वह उक्त संस्था का समस्त प्रभार प्राप्त कर नियमानुसार प्रभार सूची इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रस्तुत करें एवं छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के अधीन अपना अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करें ताकि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 09-09-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 22 सितम्बर 2009

क्रमांक/479/उपंरा/परि./2009.— वस्तुत: शिव गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 184, जिला राजनादगांव संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/381/उपंरा/परि./2009, राजनांदगांव दिनांक 29-7-2009 जारी किया कि आपकी संस्था अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06, वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के अनुसार वास्तव में कार्य करना बन्द कर दिया है जिसे अस्तित्व में बनाए रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के बावजूद उक्त सोसायटी ने कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया और न ही पक्ष समर्थन हेतु कोई उपस्थित हुए, इससे यह धारणा की जाती है कि उक्त सोसायटी को कारण बताओ सूचना पत्र के समस्त आरोप स्वीकार है जिसके परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. रायपुर की शक्तियों का उपयोग करते हुए शिव गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 184, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के विहित प्रावधान के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के प्रावधानों के तहत श्री पी. एस. लोन्हारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22-09-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.